UGC-CARE enlisted & Indexed in EBSCO International Database of Journals

सम्पादकीय

संगीत वाद्य यंत्रों पर GST

शिक्षा, शोध और व्यवसाय की दृष्टि से भारतीय संगीत (शास्त्रीय एवं लोक) का क्षेत्र असंगठित है. रोजगार की संभावनाओं के गिरते स्तर व अनिश्चितता, व्यापार की आसमानता, अनुकूल सुविधाओं के अभाव में और अपनी परंपरावादी जड़ वृत्ति के कारण संगीत का क्षेत्र उतना संगठित और व्यवस्थित नहीं हो सका, जितना इसको होना चाहिए था.

किसी राज्य में वहां की लोक कला या लोक संगीत को संरक्षित करते हुए पीढ़ियों पुरानी परंपराओं को संजोते हुए जीवन यापन कर रहे संगीतकारों का लेखा-जोखा या आंकड़े भी हमारे पास अमूमन नहीं मिलते. यही बात वाद्य यंत्र निर्माताओं के साथ भी लागू होती है. संगीत वाद्य यंत्र, चाहे वह लोक वाद्य हो या शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्य हो या इलेक्ट्रॉनिक वाद्य, इनके निर्माण और व्यवसाय का क्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है, लेकिन असंगठित है. किस राज्य में या किस राज्य के जिले विशेष में संगीत वाद्यों के कितने कारीगर हैं? कितने कारीगर अपने पुश्तैनी पेशे को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं? कितने लोग कम कमाई के चलते इस पेशे को छोड़ चुके हैं? इसका कोई ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध नहीं है. संगीत वाद्य यंत्रों का प्रतिवर्ष का करोड़ों का कारोबार है, जो अब GST के दायरे में आता है. जैसा कि विदित है कि 1 जुलाई 2017 को GST की व्यवस्था लागू हो गई.

GST के अंतर्गत संगीत वाद्य यंत्रों पर टैक्स लगाने के दो आधार सुनिश्चित किये गए है – स्वदेशी वाद्य यंत्र और विदेशी वाद्य यन्त्र. स्वदेशी वाद्य यंत्र जोकि हाथों से बनाए जाते हैं, उन पर कोई GST नहीं है लेकिन जो वाद्य विदेशी वाद्य यंत्रों की श्रेणी में रखे गए है उन पर 28% GST लगाई गई है. जैसे - Piano, Automatic Piano, Keyboard, Guitar, Violin, Harps, Keyboard Pipe Organs, Harmoniums and similar Keyboard instruments with free metal reed, Accordions and similar instruments, mouth organs, Clarinets, Trumpets, Bagpipers, Drums, Xylophones, Cymbols, Castanets, Maracas, Mmusical boxes, Mechanical Street Organs, Tuning forks, Tuning Pipe, Metronomes, Accessories for electronic music instruments and mechanical parts etc.

गिटार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्र को विदेशी वाद्यों की श्रेणी में रखकर उन पर 28% GST लगाई गई है, जबकि गिटार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्र समय के साथ भारतीय संगीत में घुल मिल चुके हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किए जा चुके हैं. माउथ ऑर्गन, पियानो, ड्रम तथा इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों और उनमे इस्तेमाल में आने वाले उपकरणों आदि को 28% GST के दायरे में रखा गया है, जिस कारण संगीत वाद्य यंत्रों का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों में नाराजगी है. उनका मानना है कि इससे वाद्य यंत्र महंगे हुए हैं, जिस कारण इनकी बिक्री में कमी आई है. व्यापारियों का कहना है कि GST आने से पहले राज्य सरकारें इन वाद्य यंत्रों पर 14% या 14.5% प्रतिशत ही टैक्स लगाती था लेकिन जुलाई 2017 में GST के लागू होने के बाद कई सारे वाद्य यंत्रों को 28% GST के दायरे में ले आया गया है. कई सारे बात यंत्रों के

वर्गीकरण में भी भ्रम है कि कौन सा देशी और कौन सा विदेशी वाद्य यंत्र माना जाएगा, जैसे – हारमोनियम, वायलिन आदि. 28% GST के चलते हारमोनियम और वायलिन वाद्य यंत्रों के महंगे हो जाने से उनकी शिक्षा और उससे जुड़े रोजगार पर भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा.

संगीत को एक खुशहाल जीवन की अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है. संगीत जीवन को संस्कारित करता है. संगीत किसी के लिए फ़ैशन है तो किसी के लिए पैशन. संगीत शिक्षा भी है और संस्कार भी. जीवन को सहज और शांत और शानदार बनाने का साधन भी. अद्ध्ययन की दृष्टि से संगीत वाद्यों को देशी और विदेशी श्रेणी में रखने में कोई हर्ज़ नही है और स्वदेशी को बढ़ावा देना भी एक अच्छा क़दम है श्रम को सम्मान देने की दिशा में. लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से देशी-विदेशी वाद्यों का वर्गीकरण करते हुए विदेशी वाद्यों पर पहले से अधिक (लगभग दोगुना) टैक्स लगाना कहाँ तक तर्क संगत है, जबकि हारमोनियम और वायलिन जैसे कई वाद्य यन्त्र विदेशी होते हुए भी भारतीय संगीत का अभिन्न अंग बन चुके है.

संगीत वाद्य यंत्रों पर GST की चर्चा के साथ ही संगीत गैलेक्सी का यह अंक आपके हाथों में सौंप रहा हूँ. इस अंक में गायन, वाद्य और नृत्य संगीत पर लेखों का समुच्चय है, जो आपके ज्ञान में और बढ़ोतरी करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है. साथ ही इस अंक में जिन लेखकों के लेख व शोध पत्र प्रकाशित हुए है उन सभी को धन्यवाद.

सम्पादक